

कार्यवृत्त

बुधवार, 30 माघ, शक संवत्, 1935

(दिनांक 19 फरवरी, 2014 ई0)

खण्ड-39
अंक-01

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही नेता प्रतिपक्ष व अन्य माननीय सदस्य नियम-310 के अन्तर्गत बागवानी मिशन (हार्टिकल्चर मिशन फार नार्थ ईस्ट हिमालयन) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में काश्तकारों/उद्यान कर्मियों को आवंटित योजनायें उत्तराखण्ड सरकार के एक मंत्री के परिवार को लाभ पहुंचाने सम्बन्धी सूचना पर चर्चा कराये जाने की मांग को लेकर अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर जोर-जोर से कहने लगे। जिस पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि वे इस विषय को नियम-58 में ग्राह्यता पर सुन लेंगे।

अपने-अपने स्थानों पर खड़े विपक्ष के सदस्यों ने अपना स्थान ग्रहण नहीं किया तथा अपनी-अपनी बात को जोर-जोर से कहते रहे। श्री अध्यक्ष के बार-बार अनुरोध पर भी माननीय सदस्यों द्वारा अपना स्थान ग्रहण न करने पर श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 14 मिनट पर सदन का कार्य 12:00 बजे तक के लिए स्थगित किया।

12:00 बजे मार्शल ने सूचित किया कि माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का समय 12 बजकर 20 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है।

12:20 बजे सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही नेता प्रतिपक्ष व विपक्ष के माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नियम-310 में दी गई सूचना पर चर्चा कराये जाने की मांग करने लगे। श्री अध्यक्ष ने कहा कि वे उक्त विषयक सूचना नियम-58 में ग्राह्यता पर सुन लिए जाने पर अपनी व्यवस्था दे चुके हैं। कृपया स्थान ग्रहण करें सदन को चलने में सहयोग करें।

व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-300 के अन्तर्गत 12 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिसमें से निम्न सूचनाएं स्वीकृत हुई एवं पढ़ी हुई मानी गई:-

1. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना “विधान सभा क्षेत्र सल्ट के स्यालदे नामक स्थान पर वर्षों से स्वीकृत मिनी स्टेडियम न बन पाने के कारण व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।”
2. श्री ललित फर्वाण “जनपद चम्पावत के सिलथाम स्थित सुभाष बेकरी के सामने मकानों के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन बिजली के तारों से उत्पन्न खतरों के सम्बन्ध में।”
3. श्री मदन कौशिक “प्रदेश में संविदा पर कार्यरत कर्मियों के सापेक्ष पदों की विज्ञप्ति जारी होने से बेरोजगारी बढ़ने के सम्बन्ध में।”
4. श्री प्रेम चन्द्र अग्रवाल “विधान सभा क्षेत्र ऋषिकेश में आई0डी0पी0एल0 टाउनशिप वासियों को घरेलू दरों के स्थान पर कामर्शियल दरों पर विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में।”
5. श्री प्रेम सिंह राणा “विधान सभा क्षेत्र नानकमत्ता के अन्तर्गत ग्राम पंचायत विडौरा में छमीपाथ शाही गुरुद्वारा एवं ग्राम पंचायत भरौनी के ग्राम लामाखेड़ा के पास खरखरा नाला में पुल निर्माण के सम्बन्ध में।”
6. श्री यतीश्वरानन्द “विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के ग्राम घिस्सूपुर एवं धनपुरा में मकानों के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन बिजली के तारों को हटवाये जाने के सम्बन्ध में।”
7. श्री दान सिंह भण्डारी “विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत स्थित फल पट्टी के किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए उत्पादन क्षेत्र में ही पैकिंग बाक्स फैक्ट्री स्थापित किए जाने के सम्बन्ध में।”

घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104 (4) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के वर्ष 2012-13 का वार्षिक लेखा विवरण को सदन के पटल पर रखा।

घोर व्यवधान के मध्य श्री जीतराम, सदस्य, विधान सभा द्वारा “जनपद रुद्रप्रयाग के ग्राम गगोड़ में प्राकृतिक जलस्रोत के साथ पानी का भण्डारण किये जाने हेतु टैंक बनाये जाने के सम्बन्ध में” श्रीमती कृष्णा देवी, निवासी-ग्राम गगोड़, पो0 घोलतीर, जनपद-रुद्रप्रयाग एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री अध्यक्ष द्वारा याचिका उपस्थापन हेतु श्री राजकुमार, स0वि0स0 का नाम पुकारे जाने पर मा0 सदस्य अनुपस्थित थे।

माननीय सदस्य, श्री कुंवर प्रणव सिंह ‘चैम्पियन’ द्वारा दिनांक 18 नवम्बर, 2013 एवं 20 जनवरी, 2014 को विशेषाधिकार पर नियम-65 में दी गई सूचना पर श्री अध्यक्ष ने विनिश्चय दिया कि इसका परीक्षण जल्द से जल्द करा लिया जायेगा।

दिनांक 06 फरवरी, 2014 के उपवेशन में माननीय सदस्य मदन कौशिक ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए संविधान के अनुच्छेद 174 तथा उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्य संचालन नियमावली के नियम -14 में वर्णित तीन सत्र आय-व्ययक सत्र, वर्षाकालीन सत्र और शीतकालीन सत्र की व्यवस्था के अनुसार इस वर्ष चूंकि आय-व्ययक वर्तमान सत्र में ही ले लिया गया है तो आय-व्ययक सत्र अलग से न आने के कारण मा0 सदस्यों को प्रश्न, ध्यानाकर्षण, प्रस्ताव, संकल्प, विधेयक आदि के माध्यम से अपनी बात उठाने के अवसर नहीं मिल पायेंगे संबंधी प्रकरण पर श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि संविधान के अनुसार अनुच्छेद-174 में व्यवस्था है कि-

“(1) राज्यपाल, समय-समय पर, राज्य के विधान मण्डल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर, जो वह ठीक समझे, अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किन्तु उसके एक सत्र की अन्तिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच छः मास का अन्तर नहीं होगा।

(2) राज्यपाल समय-समय पर-

(क) सदन का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा,

(ख) विधान सभा का विघटन कर सकेगा।”

उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्य संचालन नियमावली के नियम-14 के अनुसार अनुच्छेद-174 के अधीन रहते हुए साधारणतया प्रत्येक वर्ष में सभा के तीन अधिवेशन अर्थात् आय-व्ययक अधिवेशन, वर्षाकालीन अधिवेशन व शीतकालीन अधिवेशन और 60 दिन के उपवेशन होंगे। विधान सभा के सत्रों तथा उपवेशनों की अवधि विधायी कार्य की आवश्यकता एवं परिमाण को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित किए जाते हैं। सत्रों के उपवेशनों में किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा नियमावली के नियम-212 में वर्णित कार्यमंत्रणा समिति द्वारा बनायी जाती है। इसके अन्तर्गत सभी दलों के परामर्श से इस प्रकार सत्रों के कार्यक्रम बनाये जाते हैं कि मा0 सदस्यों को प्रश्न, संकल्प, विधेयक आदि के माध्यम से अपनी बात रखने का अवसर भी प्राप्त हो सके तथा सदन के समक्ष कार्य भी प्रभावी रूप से भी निष्पादित हो सके। प्रस्तुत प्रकरण में विधान सभा का यह प्रथम सत्र है तथा आय-व्ययक प्रस्तुतीकरण, विचार तथा पारण को समय पर सुनिश्चित करने के लिए सत्रावसान न कर पृथक से सत्र आहूत न करके उसी सत्र की अवधि में आय-व्ययक को पारित करने का निर्णय लिया गया है। नियमावली में वर्णित तीन सत्रों की व्यवस्था सदन के कार्यों के लिये एक साधारण प्रक्रिया का हिस्सा है, परन्तु संविधान के अनुच्छेद-174 के अन्तर्गत महामहिम राज्यपाल को यह अधिकार प्राप्त है कि ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे सत्र आहूत कर सकते हैं। इन तीन सत्रों की व्यवस्था नियमों में की गयी है, किन्तु यदि किसी भी समय सत्र आहूत किया गया हो तो उसको विस्तारित करने में कोई निषेध नहीं है।

इसी बीच माननीय नेता प्रतिपक्ष के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में आ गये और एक साथ अपनी बात कहते हुए नारेबाजी करने लगे, जिससे सदन में व्यवथा उत्पन्न हो गया।

घोर व्यवधान के मध्य ही श्री अध्यक्ष ने यह भी सूचित किया कि-यदि कोई सत्र विस्तारित हो और नियमों में वर्णित तीन सत्रों में से कोई भी एक यदि इस विस्तारित अवधि में आ रहा हो या ओवरलैपिंग कर रहा हो तो केवल इस आधार पर सत्रावसान करना कि ऐसा नियमों में वर्णित सत्रों को आहूत करने के लिए आवश्यक है, व्यवहारिक भी नहीं होगा। इसके अतिरिक्त 60 दिनों की व्यवस्था न्यूनतम अवधि के रूप में अपेक्षित है और यदि सत्र 60 दिन से अधिक चलता है तो उसके सम्बन्ध में भी कोई बाध्यता नहीं है। साथ ही विधान सभा के सत्र आहूत करने का अधिकार महामहिम राज्यपाल का है। अतः इस सम्बन्ध में उनके अधिकार को चुनौती देना भी इस विधान सभा के लिए उचित नहीं होगा। अतः उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में संविधान अथवा नियमावली का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। अतः यह प्रकरण व्यवस्था के प्रश्न के अन्तर्गत नहीं होने के कारण मैं इसे अस्वीकार करता हूँ।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि माननीय नेता प्रतिपक्ष से मेरा अनुरोध है कि कृपया सदन को व्यवस्थित कराये।

घोर व्यवधान के मध्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी।

घोर व्यवधान के मध्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के मध्य नगर विकास मंत्री ने उत्तराखण्ड नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी।

घोर व्यवधान के मध्य नगर विकास मंत्री ने उत्तराखण्ड नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के मध्य नगर विकास मंत्री ने उत्तराखण्ड नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी।

घोर व्यवधान के मध्य नगर विकास मंत्री ने उत्तराखण्ड नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित किया।

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष द्वारा सूचित किया गया कि आज नियम-58 के अन्तर्गत 13 सूचनाएं प्राप्त हुईं। जिनमें से पहली सूचना माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक, श्री चन्द्र शेखर, श्री अरविन्द पाण्डे एवं श्री आदेश चौहान, दूसरी सूचना माननीय सदस्य श्री संजय गुप्ता, तीसरी सूचना माननीय सदस्य श्री आदेश चौहान, श्री मदन कौशिक, श्री यतीश्वरानन्द एवं श्री संजय गुप्ता, चौथी सूचना माननीय सदस्य श्री पूरन सिंह फर्त्याल तथा पांचवी सूचना माननीय सदस्य श्री दलीप सिंह रावत को ग्राह्यता पर सुनने हेतु माननीय सदस्यों के नाम पुकारे जाने पर कोई भी सदस्य उपस्थित नहीं हुए।

श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12:35 बजे भोजनावकाश हेतु 03:00 बजे तक के लिये स्थगित कर दी।

भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही 03:00 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही नेता प्रतिपक्ष व भाजपा के अन्य सदस्य नियम-310 की सूचना पर चर्चा कराये जाने की मांग करने लगे। श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि वे माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक, श्री बंशीधर भगत, श्री दलीप सिंह, श्री चन्दन राम दास, श्री अजय टम्टा, श्री यतीश्वरानन्द, श्री चन्द्र शेखर एवं श्री पुष्कर सिंह धामी के हस्ताक्षरयुक्त नियम- 310 की सूचना सहित सदन अव्यवस्थित होने के कारण नियम-58 पर ग्राह्यता पर सुनी जानी वाली सभी सूचनाएं अस्वीकार कर चुके हैं। अतः वे कल नियम- 58 में ग्राह्यता पर सुन लेंगे। इस पर विपक्ष के कुछ सदस्य खड़े होकर चर्चा कराये जाने की मांग करने लगे।

वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान :-

- (1) घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-01 विधान सभा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 1155126 हजार (रूपये एक सौ पन्द्रह करोड़ इक्यावन लाख छब्बीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-01 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

- (2) घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-03 मंत्रिपरिषद के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 404601 हजार (रूपये चालीस करोड़ छियालीस लाख एक हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-03 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

- (3) घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-04 न्याय प्रशासन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 1679415 हजार (रूपये एक सौ सडसठ करोड़ चौरानवे लाख पन्द्रह हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

- (4) घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-08 आबकारी के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 144772 हजार (रूपये चौदह करोड़ सैंतालीस लाख बहत्तर हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-08 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

- (5) घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-10 पुलिस एवं जेल के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 11538675 हजार (रूपये एक हजार एक सौ तिरपन करोड़ छियासी लाख पचहत्तर हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

माननीय नेता प्रतिपक्ष सहित विपक्ष के सभी सदस्यों ने सदन का त्याग किया।

- (6) घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-14 सूचना के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रूपये 385018 हजार (रूपये अड़तीस करोड़ पचास लाख अठ्ठारह हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-14 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु मा0 सदस्यों के नाम पुकारे गये, किन्तु किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-14 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

- (7) घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-21 ऊर्जा के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रुपये 5194999 हजार (रुपये पांच सौ उन्नीस करोड़ उन्वास लाख निन्यानबे हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-21 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु मा0 सदस्यों के नाम पुकारे गये, किन्तु किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-21 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

- (8) घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-22 लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रुपये 14051480 हजार (रुपये एक हजार चार सौ पांच करोड़ चौदह लाख अस्सी हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-22 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु मा0 सदस्यों के नाम पुकारे गये, किन्तु किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-22 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

- (9) घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-23 उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रुपये 1056739 हजार (रुपये एक सौ पांच करोड़ सड़सठ लाख उन्तालीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-23 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु मा0 सदस्यों के नाम पुकारे गये, किन्तु किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-23 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

- (10) घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-27 वन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए **रुपये 5262906 हजार (रुपये पांच सौ छब्बीस करोड़ उनतीस लाख छः हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या-27 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु मा0 सदस्यों के नाम पुकारे गये, किन्तु किसी भी माननीय सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या-27 के अन्तर्गत मांग की धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-3, अनुसूची, खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2014 पारित किया जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नियम-105 के अन्तर्गत श्री नवप्रभात, सदस्य विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा:-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में जल उपलब्धता को बढ़ाने के लिए एक समग्र जल नीति निर्धारित की जाये। ”

उक्त पर चर्चा माननीय सदस्य श्री नव प्रभात जी के भाषण से आरम्भ हुई, तथा मा० सदस्य श्री उमेश शर्मा (काऊ) एवं श्री ललित फर्वाण ने भी चर्चा में भाग लिया। माननीय संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण के उपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव वापस हुआ।

आज नियम-53 के अन्तर्गत 06 सूचनाएं प्राप्त हुई। इनमें से-

“जनपद देहरादून के विकासनगर में विभिन्न पेयजल नलकूपों पर ओवर हैड टैंक बनाने के सम्बन्ध में” श्री नवप्रभात, माननीय सदस्य की सूचना को नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य हेतु स्वीकार किया गया तथा,

“प्रदेश में बी०एड०, बी०पी०एड० व योग प्रशिक्षितों को रोजगार उपलब्ध कराने की मांग के संबंध में” श्री चन्दन राम दास, माननीय सदस्य की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया।

शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत स्याल्दे एवं मानिला महाविद्यालयों को पूर्ण पी०जी० की मान्यता देने की मांग के संबंध में श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 2014 को दी गई सूचना पर, संसदीय कार्य मंत्री ने नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य दिया, तथा

जनपद हरिद्वार के जिला अस्पताल/मेला अस्पताल में डाक्टरों की कमी के कारण मरीजों को होने वाली कठिनाईयों के संबंध में श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 2014 को दी गई सूचना पर, संसदीय कार्य मंत्री ने नियम-53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश में पंचायत चुनाव प्रक्रिया चल रही है, दिनांक 08 फरवरी, 2014 को नये पंचायतों का गठन हुआ है। इसलिए नये परिसीमन के आधार पर चुनाव कराये जाने विषयक प्राप्त सूचना माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री अजय भट्ट एवं माननीय सदस्य, श्री मदन कौशिक, श्री चन्द्र शेखर, श्री राजेश शुक्ला, श्री विशन सिंह चुफाल, श्री संजय गुप्ता, श्री पुष्कर सिंह धामी, श्री यतीश्वरानन्द की है।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि सरकार द्वारा दिनांक 08 फरवरी, 2014 को पांच नगर पंचायतों, एक नगर पालिका का गठन तथा एक नगर पंचायत का उच्चीकरण किया गया। जनसंख्या को आधार मानते हुए पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में निर्वाचन के दृष्टिकोण से भिन्नता है। पूर्व में जो परिसीमन किया जा चुका है उसके अनुसार आरक्षण भी तदनुसार कर दिया गया है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार किसी ग्राम सभा के नगर पालिका, कैम्पेमेंट एरिया एवं टाउन एरिया में सम्मिलित होने पर ग्राम सभा का अस्तित्व समाप्त करने का प्रावधान है। इस प्रकार नगर पंचायत और नगर पालिकाओं के गठन/पुनर्गठन से परिसीमन भी प्रभावित होना स्वाभाविक है। इससे आरक्षण की व्यवस्था भी इस प्रकार बदले हुए परिवेश में प्रभावित होगी।

अतः यह आवश्यक है कि पंचायत क्षेत्रों का नये सिरे से परिसीमन किया जाए एवं आरक्षण व्यवस्था भी प्राविधानित मानकों के अनुसार तदनुसार पुनः निर्धारित की जाए। यह पंचायतीराज व्यवस्था के सुदृढीकरण के लिये भी आवश्यक है जिसे कि प्रस्तावित निर्वाचन से पूर्व किया जाना आवश्यक होगा।

साथ ही गत वर्ष आयी आपदा के कारण हुयी क्षति की पूर्ति अविलम्ब करने के लिये अवस्थापना, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण को तत्काल पूर्ण करने के लिये भी समयबद्ध रूप से कदम उठाये जाने आवश्यक है। इन सब कार्यों के लिए मानव संसाधनों की आवश्यकताओं को भी दृष्टिगत रखा जाना अपेक्षित होगा, जिससे प्रभावित लोगों के पुनर्वास आदि कार्यों को त्वरित गति से न्यूनतम समय में प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जा सके।

अतः सरकार इस सम्पूर्ण प्रकरण पर उपर्वर्णित कारणों के आलोक में पुनःपरीक्षण कराये एवं निर्वाचन से पूर्व परिसीमन को यथा आवश्यकता करना सुनिश्चित करें जिससे कि माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गयी विसंगतियों एवं विषमताओं का निदान संभव हो सके।

सदन की कार्यवाही 03 बजकर 41 मिनट पर अगले दिन के 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

(जगदीश चन्द्र,
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,
गोविन्द सिंह कुंजवाल,
अध्यक्ष,
विधान सभा।